न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2004 / 3180 / बाड़मेर.

1— हेमाराम पुत्र पाबूराम,
2— सालगाराम पुत्र पाबूराम,
3— कानाराम पुत्र पाबूराम,
4— लाटाराम पुत्र पाबूराम,
समस्त जाति भील निवासी ढंड की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— गंगाराम पुत्र गोविन्दराम पालीवाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
1 / 1. डूंगरचन्द पुत्र गंगाराम,
1 / 2. केवलचन्द पुत्र गंगाराम,
1 / 3. शंकरलाल पुत्र गंगाराम,
2— विशनाराम पुत्र मोडाराम,
3— भंवरलाल पुत्र मोडाराम,
4— बगताराम पुत्र मोडाराम,
समस्त जाति पाली निवासी भाडियावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
5— राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री आर. डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

———

उपस्थित :—
श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय **दिनांक :—17—12—2024**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 17 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—04—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91 व

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय सहायक कलेक्टर, बालोतरा के समक्ष पेश ग्राम मूंगडा तहसील पचपदरा स्थित आराजी खसरा संख्या 103 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 106 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा बाबत् पेश किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 12–1–1982 को विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 24–1–1982 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया, जिस एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर योग्य विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 07–01–1983 द्वारा पूर्व में जारी एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर दिया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अपना विस्तृत जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज किये जाने एवं काउण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए काउण्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रकरण में कुल 09 तनकीयात कायम करते हुए उन पर उभय पक्षों की साक्ष्य ली गई एवं अंतिम बहस सुनकर वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 15–02–2003 द्वारा डिक्री कर दिया गया।

तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2003 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसे योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30–04–2004 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री व निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण ने अपीलार्थीगण के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–1975 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को रामचन्द्र व प्यारेलाल के विरूद्ध खातेदार घोषित किया गया था, के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में अपीलार्थीगण

दिनांक 06–03–1975 से राजस्व रेकार्ड में खातेदार है तथा इस आधार पर वादीगण का वाद अपीलार्थीगण के विरूद्ध डिक्री नहीं किया जा सकता था। तनकी संख्या 3 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.75 से संबंधित बनाई गई थी, किन्तु यह तनकी केवल इस प्रकार बनाई गई है व वादीगण के विरूद्ध प्रभाव शून्य हैं। वादीगण ने अपने दावे के मद संख्या 5 व 8 में इसका जिक्र किया है। पैरा नंबर 8 में डिक्री दिनांक 06.03.75 को इन इफेक्टिव व रिवाइब होना माना है कि इस डिक्री को इन इनफेक्टिव व बेअसर करार दिये जाने बाबत् मद संख्या 13 में जो कि दादरसी से संबंधित है में कोई प्रार्थना नहीं की गई है। डिक्री के रहते हुए वादीगण का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर सही तनकी कायम नहीं की, न निर्णित ही की। उपखण्ड अधिकारी ने तनकी संख्या 1 व 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की है, जो साक्ष्य के आधार पर निर्णित नहीं की है। महज रजिस्ट्री करा देने मात्र से वादीगण खातेदार घोषित नहीं किये जा सकते। उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को यह देखना था कि प्यारेलाल व रामचन्द्र द्वारा किया गया हस्तांतरण कहां तक वैध है। वादीगण प्रत्यर्थीगण ने उनके पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को सिद्ध नहीं कराया। अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 06–03–1975 को वाद डिक्री किये जाने के बाद तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित नहीं की जा सकती थी। वादीगण विवादित भूमि के कब्जे में नहीं होने से व अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज होने से तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित नहीं मानी जा सकती। तनकी संख्या 5 में उपखण्ड अधिकारी ने यह तो स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है लेकिन काबिज होते हुए वाद क्यों नहीं डिक्री किया जा सकता यह मानते हुए तनकी संख्या 5 अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई तनकी कायम नहीं की गई। अपीलार्थीगण काउण्टर क्लेम के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाना चाहते है, भले ही विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में क्यों नहीं हो, यह बिन्दु अनिर्णित रहने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का स्वर्गवास विचारण न्यायालय के समक्ष हो चुका था तथा इनके वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का

प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया इसलिये अपीलीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वह प्रकरण पुनः परीक्षण न्यायालय को निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करते, किन्तु इसकी अनदेखी करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा गया। आगे यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, उनकी खातेदारी समाप्त कर उपखण्ड अधिकारी ने स्वर्ण जाति के पक्ष में डिक्री पारित की है जो स्पष्टतया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 का उल्लंघन है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 20 नियम 4(2) व राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार नहीं है। आदि कथन करते हुए अंत में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात वादीगण ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारान मु. रामप्यारी पत्नी प्यारेलाल एवं रामचंद्र पुत्र प्रहलाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से बएवज प्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01–07–1967 को क्रय की गई। अपीलार्थीगण के पिता पाबूराम द्वारा जो दावा 57/73 प्रस्तुत किया गया, उसमें उक्त बेचान के तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया और क्रेतागण प्रत्यर्थीगण को पक्षकार तक नहीं बनाया गया। इस प्रकार विवादित आराजियात पर प्रत्यर्थी का कब्जा चला आ रहा है। अतः कब्जे बाबत् किसी प्रकार का अनुतोष मांगे जाने की आवश्यकता नहीं होने से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया, जिसका अपीलार्थी वादीगण के वाद पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रेता प्रत्यर्थीगण के हक में पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेज की सत्यता पर राजस्थान पंजीयन अधिनियम की धारा 60(2) के तहत् बिना किसी ठोस साक्ष्य के संदेह नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा कपटपूर्वक तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत कर प्राप्त की गई डिक्री व निर्णय प्रांरभ से ही शून्य होने से वादीगण प्रत्यर्थीगण के हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए उन पर उभय पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत तनकीवार अपना विस्तृत मत

अभिव्यक्त करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जिसकी पुष्टि योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से की है। यदि तनकी कायम करने के संबंध में अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति थी तो बरवक्त विचारण प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, अपील के स्तर पर तनकी की रचना बाबत् आक्षेप लिया जाना न्यायोचित नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विधिनुरूप तरीके से उक्त आक्षेप को अस्वीकार कर खारिज किया है। आदि कथन करते हुए अंत में प्रस्तुत द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया।

5— उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी वादीगण गंगाराम वगैरह ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया, जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15—02—2003 द्वारा वादी प्रत्यर्थीगण के हक में डिक्री कर दिया गया। इसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6— पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्रीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 103 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 116 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि को खातेदार रामचन्द्र पुत्र प्रहलाद व रामप्यारी बेवा रामचन्द्र से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01—06—67 द्वारा क्रय की गई। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में उसके पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 06—03—1975 पारित कर अपीलार्थी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा के संबंध में पूर्व में अपीलार्थी प्रतिवादीगण के पिता पाबूराम द्वारा प्रत्यर्थी प्यारेलाल व रामचन्द्र के विरूद्ध न्यायालय सहायक जिलाधीश, बालोतरा के समक्ष राजस्व

वाद संख्या 57/73 बउनवान पाबूराम बनाम प्यारेलाल प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी प्रत्यर्थी की सहमति व स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–75 के जरिये वादी पाबूराम को खातेदार घोषित कर दिया गया। यह सही है कि उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई है, किन्तु निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–1975 के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि विवादित आराजी का विक्रय पूर्व खातेदारान रामचन्द्र वगैरह द्वारा प्रत्यर्थी वादीगण प्रत्यर्थीगण के हक में जरिये प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 01–07–67 को किया जा चुका है। इस प्रकार जब पूर्व में ही 1967 में रामचन्द्र वगैरह द्वारा विवादित भूमि का बेचान प्रत्यर्थी वादीगण को किया जा चुका था तो उसके बाद उक्त विवादित भूमि में उनका कोई स्वत्व, अधिकार एवं कब्जा नहीं होने से उनके द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दी गई स्वीकारोक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये इकबालीया जवाब के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में प्राप्त की गई डिक्री भी पूर्णतः संदेह से परे साबित नहीं होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ऐसे निर्णय व डिक्री को गुणावगुण व साक्ष्यों पर आधारित यथोचित निर्णय नहीं माना जा सकता। जबकि विक्रय के समय विवादित आराजी पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार रामचन्द्र वगैरह की खातेदारी में दर्ज थी तथा प्रत्यर्थी वादीगण ने बहुमूल्य प्रतिफल देकर विवादित भूमि को उनसे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी वादीगण सद्भाविक क्रेता होकर राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज हुआ है एवं रेकार्डेड खातेदार के अधिकारों को बिना किसी युक्तियुक्त आधार के समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे प्रकट होता हो कि उक्त वर्णित पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, जिससे स्पष्ट है कि उक्त वर्णित पंजीकृत विक्रय पत्र आज भी प्रभाव एवं प्रवर्तन में है। इस आधार पर ही योग्य विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 से 4 का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उक्त तनकीयों को वादी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए वादीगण के

पक्ष में वाद डिक्री किया है। जबकि इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को योग्य अपीलीय न्यायालय ने सारहीन होना मानते हुए योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2003 को यथावत् रखा है।

7– इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसके समक्ष उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के साक्ष्यिक महत्व के अनुरूप ही अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है तथा इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप ही विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है।

8– इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा ने अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–02–2003 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30–04–2004 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई भूल कारित नहीं की है। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें उपर्युक्त विवेचनानुसार ऐसी कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य